पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2020 ई0 (आषाढ़ 27, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	407–416	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	327–334	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	207–209	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–01

अधिसूचना

27 मई, 2020 ई0

संख्या 413/XV-I/20/7(25)/2007–एतद्द्वारा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27, वर्ष 2009) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में अश्ववंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित ग्लैण्डर्स रोगग्रस्त क्षेत्र जनपद नैनीताल में अश्ववंशीय पशु मेले, घुडदौड़, अश्व प्रदर्शनियों, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

12 जून, 2020 ई0

संख्या 217/XX(1)–2020–2(4) 2020–पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय/कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः डीजी–एक–51–2012(4) दिनांक 16 मई, 2020 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री जगत राम जोशी (IPS-SPS: 2005), पुलिस उपमहानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र को दिनांक 30–06–2020 (अपरान्ह्) को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

12 जून, 2020 ई0

संख्या 629/XXVIII-2/01(138)2007–पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 10.06.85 द्वारा डा0 नीरज पाण्डे को पर्वतीय उप–संवर्ग में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 27.09.1985 को महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी में कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 नीरज पाण्डे दिनांक 23.05.1999 तक महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी में कार्यरत रहीं। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डा0 नीरज पाण्डे का स्थानान्तरण बी0डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल में किये जाने पर डा0 नीरज पाण्डे को महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी से दिनांक 24.05.1999 पूर्वान्ह को कार्यमुक्त किया गया, परन्तु डा0 नीरज पाण्डे बी0डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व दिनांक 24.05.1999 से दिनांक 14.07.1999 तक चिकित्सा अवकाश पर चली गयीं।

2– डा0 नीरज पाण्डे द्वारा दिनांक 15.07.1999 को बी0डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण किया गया तथा वह पुनः दिनांक 20.07.1999 से दिनांक 08.05.2000 तक चिकित्सा अवकाश पर रहीं। दिनांक 09.05.2000 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त डा0 नीरज पाण्डे द्वारा अपने नैनीताल स्थानान्तरण एवं अपने पति के हल्द्वानी में निजी प्रैक्टिस करने तथा 06 वर्षीय पुत्री के हल्द्वानी में अध्ययनरत रहने को आधार बनाते हुए दिनांक 10.05.2000 को सशर्त त्यागपत्र दिया गया।

3– मुख्य चिकित्सा अधीक्षका, बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 14.06.2000 को निदेशक,स्वास्थ्य महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र में डा0 नीरज के चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में परिषद् की उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए, यह भी अवगत कराया गया कि डा0 नीरज द्वारा दिनांक 09.05.2000 को अपनी योगदान सूचना उन्हें एकतरफा कार्यभार प्रमाण–पत्र भरते हुए प्रस्तुत की गयी। साथ ही वह उस दिन से पुनः बिना सूचना के अनुपस्थित रहीं।

4– पुनः सेवा से अनुपस्थित होने के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के पत्र दिनांक 25.05.2000 द्वारा डा0 नीरज को अवगत कराया गया कि दिनांक 09.05.2000 से बिना किसी सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहने एवं विधिवत् प्रपत्रों पर अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के दृष्टिगत् प्रभार प्रमाण–पत्रों को प्रति हस्ताक्षरित करना सम्भव नहीं है एवं अवकाश स्वीकृति भी सम्भव नहीं है। अतः उन्हें शीघ्र कार्य पर उपस्थित होने एवं आवेदित अवकाश की स्थिति स्पष्ट करने, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध आरोप पत्र की तैयारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, परन्तु डा0 नीरज उपस्थित नहीं हुई।

5– डा0 नीरज पाण्डे को विधिवत् निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप पर त्याग पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप सहित पत्र दिनांक 16.10.2000 को उपलब्ध कराया गया, परन्तु डा0 पाण्डे द्वारा निर्धारित प्रारूप पर त्याग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार डा0 नीरज पाण्डे विभाग से दिनांक 10.05.2000 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

6– डा0 पाण्डे द्वारा वर्ष 2005 में महानिदेशक को प्रेषित अपने दिनांक रहित प्रत्यावेदन द्वारा दिनांक 07.05.2005 को सेवा में पुनः योगदान कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश मुख्य चिकित्सा

अधीक्षिका को दिये जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 28.05.2005 में उनके द्वारा डा0 पाण्डे द्वारा दिनांक 07.05.2005 में दिये गये योगदान सूचना को पूर्व में बिना सूचना के राजकीय सेवा से विरत रहने, पूर्व नोटिस का संज्ञान न लेने एवं पुनः सेवा में लिये जाने पर अनुपस्थिति अवधि को नियमित करने का प्रयास कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन कर देने की सम्भावना के दृष्टिगत् उनकी योगदान आख्या को स्वीकार करने को औचित्यहीन पाते हुए, दिनांक 24.05.1999 से तत्समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी आख्या/सूचना महानिदेशक को प्रेषित की गयी।

7– तदोपरान्त शासन के पत्र संख्या 1264/XXVIII–2/01(138)2007, दिनांक 05.09.2019 द्वारा डा0 नीरज पाण्डे को आरोप पत्र दिया गया। डा0 नीरज पाण्डे द्वारा अपने प्रतिउत्तर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया। डा0 नीरज पाण्डे को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

8– डा0 नीरज पाण्डे दिनांक 31.12.2019 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुकी हैं तथा डा0 नीरज पाण्डे दिनांक 10.05.2000 से अपने कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही हैं अर्थात् उक्त स्थिति के अनुसार डा0 नीरज पाण्डे द्वारा कभी उत्तराखण्ड राज्य में सेवा प्रदान नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनाधिकृत अनुपस्थित तिथि दिनांक 10.05.2000 से डा0 नीरज पाण्डे की सेवा समाप्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

15 जून, 2020 ई0

संख्या 349/XXVIII-2-2020-100/2009(टी0सी0)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–70(3) के प्राविधानानुसार हल्द्वानी, नैनीताल में स्थापित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा संस्तुत श्री राजीव कुमार खुल्बे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रत्येक कार्यदिवसीय शनिवार को अर्द्धदिवस हेतु पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होगी।

3. उक्त अधिसूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या–2560/UHC/XIII-b-3/Admin.A/2012, दिनांक 11.06.2020 के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

न्याय विभाग

कार्यभार अवमुक्त प्रमाणक

15 जून, 2020 ई0

संख्या 61/XXXVI/न्याय विभाग/2020—प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या—175/UHC/Admin.A/2020 दिनांक 11.06.2020 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार आज दिनांक 15.06.2020 के पूर्वाह्न में छोड़ा गया है।

अवमुक्त अधिकारी,

रीतेश कुमार श्रीवास्तव।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0/— (अस्पष्ट)

सचिव,

न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तराखण्ड शासन।

कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक

17 जून, 2020 ई0

संख्या 63/XXXVI/न्याय विभाग/2020—प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या—2559/UHC/Admin.A/2020 दिनांक 11.06.2020 के अनुक्रम में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—257/XXX-1-2020 दिनांक 12.06.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या—2579/XIII-F-11/Admin.A/2004 दिनांक 12.06.2020 के अनुपालन में अद्योस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन का पदभार आज दिनांक 17.06.2020 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया है।

अवमोचक अधिकारी,

राजू कुमार श्रीवास्तव।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0/— (अस्पष्ट)

सचिव,

न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तराखण्ड शासन।

श्रम अनुभाग

प्रोन्नति/तैनाती

17 जून, 2020 ई0

संख्या 474/VIII-1/20–422(श्रम)/2002–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुख्य फार्मासिस्ट के रिक्त पद हेतु उत्तराखण्ड मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006 के भाग–3 के नियम–5 में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 05.06.2020 को सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में गठित समिति द्वारा श्री राम सिंह नेगी के विरूद्ध चल रही विभागीय जाँच में उन्हें दोषमुक्त किये जाने तथा फार्मासिस्ट के पद पर स्थायी किये जाने सम्बन्धी स्थायीकरण आदेश के क्रम में मुख्य फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति की संस्तुति की है।

2. अतः विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुति के क्रम में श्री राम सिंह नेगी को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13.05.2003 के नियम–7 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत उनके कनिष्ठ की मुख्य फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति की तिथि 27.03.2019 से कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सितारगंज ऊधमसिंह नगर में मुख्य फार्मासिस्ट (वेतनमान ₹ 56100–177500, लेवल–10) के पद पर नोशनल तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. सम्बन्धित कार्मिक उत्तराखण्ड मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006 के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग–3 (मत्स्य)

कार्यालय आदेश

19 जून, 2020 ई0

संख्या 249/XV-3/2020–01(08)/2005–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–679/XV-3/2019–01(08)/2005 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा श्री संजय कुमार गुरूरानी की सहायक निदेशक, मत्स्य वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 (लेवल–10) में की गयी पदोन्नति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से श्री संजय कुमार गुरूरानी को सहायक निदेशक, मत्स्य, जनपद ऊधमसिंह नगर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री संजय कुमार गुरूरानी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीनतम तैनाती स्थान पर यथाशीघ्र योगदान करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

18 मई, 2020 ई0

संख्या 637/XXXII/2020/37(02)/2016–तात्कालिक प्रभाव से श्री मोहन चन्द्र जोशी, व्यवस्थाधिकारी, को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद (वेतनमान– ₹ 56100–177500 मैट्रिक्स लेबल–10 के अनुसार) पर पदोन्नत करते हुए, उनकी वर्तमान तैनाती स्थल, राज्य अतिथि गृह कौसानी, बागेश्वर में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री मोहन चन्द्र जोशी, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

गृह अनुभाग–01

विज्ञप्ति–पदोन्नति

01 जून, 2020 ई0

संख्या 252/XX-1–2020–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स में लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	सुरेन्द्र सिंह सामन्त
2.	रमा देवी

2–उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :–

1. उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।
3. पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

विज्ञप्ति

16 जून, 2020 ई0

संख्या 920/XIII-1/2020–1(276)2003–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 से 4 के मूल नियम–56(क) में निहित व्यवस्थानुसार कृषि विभागान्तर्गत कृषि सेवा श्रेणी–2 के निम्नलिखित अधिकारी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–5 में उल्लिखित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र कुमार गहलौत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार	04.09.1960	30.09.2020

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

12 जून, 2020 ई0

संख्या 223/XVIII(3)/2020–03(2)/2019–राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 2806/1-14-92-एम0आर0–282–87–रा0–14, दिनांक 19 नवम्बर, 1992 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नागर क्षेत्र मुनि की रेती
			नागर क्षेत्र नरेन्द्रनगर
	देवप्रयाग	चन्द्रबढ़नी	नागर क्षेत्र देवप्रयाग

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 223/XVIII(3)/2020-03(2)/2019**, dated June 12, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 12, 2020

No. 223/XVIII(3)/2020-03(2)/2019.--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 2806/1-14-92-M.R.-282-Rev.-14, dated 19 November, 1992 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Tehri Garhwal	Narendra Nagar	Narendra Nagar	Munikireti (Urban area)
			Narendra Nagar (Urban area)
	Deoprayag	Chandrabadhni	Deoprayag (Urban area)

अधिसूचना

17 जून, 2020 ई0

संख्या 208/XVIII(3)/2020-03(6)/2016—राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 70/1-14-2000-49(2)-94-81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	गुरूग्राम
			राजनगर

आज्ञा से,

सुशील कुमार,

सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 208/XVIII(3)/2020-03(6)/2016**, dated June 17, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 17, 2020

No. 208/XVIII(3)/2020-03(6)/2016,--In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated 10 March, 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Sitarganj	Kilpuri	Gurugram
			Rajnagar

By Order,

SUSHIL KUMAR,

Secretary In-Charge.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/240—भाग 1—2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2020 ई0 (आषाढ़ 27, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 19, 2020

No. 179/XIV-a/26/Admin.A/2011--Ms. Akata Mishra, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned Medical leave for 08 days *w.e.f.* 22.02.2020 to 29.02.2020.

NOTIFICATION

June 20, 2020

No. 181/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 20.03.2020 to 24.03.2020.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 20, 2020

No. 182/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms.Ritika Semwal, Joint Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned medical leave for 21 days *w.e.f.* 11.03.2020 to 31.03.2020.

By Order of Hon'ble the Judge Incharge Education, UJALA,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 20, 2020

No. 183/XIV-a/33/Admin.A/2013--Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned medical leave for 17 days *w.e.f.* 20.03.2020 to 05.04.2020.

NOTIFICATION

June 27, 2020

No. 184/XIV/a-30/Admin.A/2016--Ms. Bharti Manglani, the then Judicial Magistrate-III, Hardwar, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.),Gairsain, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 26.05.2020 to 08.06.2020.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

03 जुलाई, 2020 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 653/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti.Vol.I/2020–21/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 401/2020/108(120)/XXVII(8)/2020 दिनांक 30 जून, 2020; 430/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-44; 431/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-46 तथा 431/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-47 समदिनांकित 25 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः शासन की अधिसूचना संख्या 246/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020 को अतिक्रमित करते हुए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाए जाने; शासन की अधिसूचना संख्या 397/2020 दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा जारी उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) जारी किया गया है के उपबन्ध दिनांक 08 जून, 2020 से प्रवृत्त होने, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश जारी किए जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने; शासन की अधिसूचना संख्या 344/2020 दिनांक 20 मई, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

30 जून, 2020 ई0

संख्या 401/2020/108(120)/XXVII(8)/2002–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 32 की उपधारा (12) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 246/2020/108(120)/XXVII(8)/2002 देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2020 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रमित करते हुए, यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जहां कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 32 में निर्दिष्ट समय–सीमा दिनांक 20 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान समाप्त हो गयी है अथवा समाप्त हो रही है, तो ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने हेतु समय–सीमा दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी;

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त की गयी समझी जाएगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 401/2020/108(120)/XXVII(8)/2002,** dated June 30, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 30, 2020

No. 401/2020/108(120)/XXVII(8)/2002--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 32 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005)(hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand) and in supersession of the notification of the Government of Uttarakhand No. 246/2020/108(120)/XXVII (8)/2002 Dehradun dated 25th March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor, is pleased to allow to notify that where any time limit, for completion of assessment or re-assessment proceedings, specified in section 32 of the said Act, has expired or is expiring during the period from the 20th day of March, 2020 to the 31st day of July, 2020, then, the time limit for completion of such assessment or re-assessment proceedings, shall be extended upto the 31st day of October, 2020;

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

अधिसूचना

25 जून, 2020 ई0

संख्या 430/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-44–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), जो अधिसूचना संख्या 397/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-38 तारीख 12 जून, 2020 द्वारा बनाया गया है, के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 430/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-44,** dated June 25, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 25, 2020

No. 430/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-44--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) read with rule 3 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the rules), made vide notification No. 397/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-38 dated 12 June, 2020, the Governor, is pleased to allow to appoint the 8th day of June, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall come into force.

अधिसूचना

25 जून, 2020 ई0

संख्या 431 / 2020 / 5(120) / XXVII(8) / 2020 / CT-46–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क सपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड–19 महामारी के प्रसार की दृष्टि से, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उन मामलों में जहां पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय–सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान पड़ती है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय–सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी पश्चात्वर्ती हो, विस्तारित हो जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 431/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-46,** dated June 25, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 25, 2020

No. 431/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-46--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30thday of June, 2020, whichever is later

2. This notification shall deemed to have been come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

अधिसूचना

25 जून, 2020 ई0

संख्या 432/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-47–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क सपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 344/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-35 तारीख 20 मई, 2020 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु जहां उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व ई–वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई–वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।"

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 432/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-47**, dated June 25, 2020 for general information.

NOTIFICATION

June 25, 2020

No. 432/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-47--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand No. 344/2020/5(120)/XXVII(8)/2020/CT-35 dated 20 May, 2020 , namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of June, 2020."

2. This notification shall deemed to have been come into force with effect from the 31st day of May, 2020.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त (वि0वे0) राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

कार्य भार छोड़ने का प्रमाण–पत्र

30 जून, 2020 ई0

संख्या 01/जि0पु0शि0प्रा0/2020–21–उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–255/XX(1)-2017-13(2)2007 दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2017 में सदस्य के रूप में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में कार्य भार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही है।

अतः उत्तराखण्ड जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून में सदस्य के पद से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 30.06.2020 के अपराह्न को कार्य भार छोड़ दिया गया है।

सुन्दर सिंह गुसांई,
सदस्य,
जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

10 जून, 2020 ई0

संख्या 64/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3 दिनांक 18–08–2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 17–11–2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखतें हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री हिमांशु नेगी पुत्र श्री यशवंत सिंह नेगी, रतूड़ा जिला रूद्रप्रयाग	UK13-20200000542 VALIDITY (NT) 13-07-2041	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	SP CHAMOLI	10.06.2020 से 09.09.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/240–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2020 ई0 (आषाढ़ 27, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे Pan Card No. CHCPB0080Q में मेरा नाम व मेरे पिताजी का नाम भूलवश Thinlay Bhutia व Fatula Bhutia गलत अंकित हो गया है। मेरे व मेरे पिताजी का सही नाम Thinley व Bhato है। भविष्य में मुझे Thinley व पिताजी को Bhato के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Thinley S/o Bhato
निवासी म0नं0 बी–26, तिब्बत
कालोनी मोहब्बेवाला, देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली

सार्वजनिक सूचना

26 फरवरी, 2020 ई0

पत्रांकः 454/ईको पर्यटक शुल्क उपविधि/2019–2020–नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा "ईको पर्यटक शुल्क उपनियम–2020" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बदरीनाथ, कैम्प कार्यालय पर्यटक आवास गृह, निकट कैनरा बैंक जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

अ. सामान्य–

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः
   (1) ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली "ईको पर्यटक शुल्क उपनियम–2020" कहलायेगा।
   (2) ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
   (3) ये उपनियम लागू होने से उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 3707/9–1–89–20 एनए 250/89 दिनॉक 03.07.1989 के तहत बद्रीनाथ में प्रवेश पर 2 रु0 प्रति यात्री की दर से लिया जाने वाला तीर्थयात्री कर अतिक्रमित समझा जायेगा।
2. ये उपनियम नगर पंचायत बदरीनाथ की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

ब. परिभाषा–

1. नगर पालिका अधिनियम से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 एक्ट सं0 (2) उत्तराखण्ड अनूकूलन एंव उपान्तरण अध्यादेश 2002 से हैं।
2. नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, जनपद चमोली से हैं।
3. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली के अधिशासी अधिकारी से हैं।
4. ईको पर्यटक टैक्स शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है जो कि पंचायत द्वारा निर्धारित बैरियर/नाके पर ऐसे पर्यटक वाहनों से लिया जायेगा जो कि बद्रीनाथ नगर में भ्रमण हेतु प्रवेश करते हो।
5. पर्यटक का तात्पर्य बदरीनाथ में प्रवेश करने वाले पर्यटको से होगा।
6. नाके से तात्पर्य बदरीनाथ में नगर पंचायत द्वारा स्थापित बैरियर/नाके बूथ से होगा।

स. शुल्क विवरण अधिरोपण एंव संग्रह–

ईको पर्यटक शुल्क ऐसे सभी वाहनों, जो बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित नाका/बैरियर से प्रवेश कर पर्यटकों को बद्रीनाथ ला रहे हों, को देय होगा। जिस हेतु प्रत्येक वाहन {स्वामी/चालक} द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा। पर्यटक शुल्क वसूली नियुक्त/अधिकृत को निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा, जिसके लिए नाके/बैरियर पर नियुक्त/अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित रसीद बुक से रसीद की एक प्रति वाहन

{स्वामी/चालक} को उपलब्ध करायी जायेगी। नगर पंचायत बदरीनाथ सीमान्तर्गत प्रति प्रवेश करने पर शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

बस	रुपये 100 प्रति वाहन
टैम्पो ट्रैवलर/मिनी बस	रुपये 70 प्रति वाहन
कार, जीप ,वैन, सूमो	रुपये 40 प्रति वाहन
दो पहिया वाहन	रुपये 10 प्रति वाहन

द. ईको पर्यटक शुल्क का उपयोग–

ईको पर्यटक शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर से पर्यावरण एंव पर्यटन विकास (सफाई व्यवस्थाओं, जागरुकता अभियान, निर्माण कार्य, ईको पर्यटक शुल्क संचालन आदि) पर किया जायेगा।

अनुज्ञा/शास्ति /छूट–

1. बदरीनाथ नगर के नागरिकों को पर्यटक शुल्क से मुक्त रखने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ के हस्ताक्षरित प्रवेश पास निर्गत किया जायेगा। ग्राम सभा माणा के नागरिकों को पर्यटक शुल्क से मुक्त रखने के लिए ग्राम प्रधान माणा/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ के हस्ताक्षरित प्रवेश पास निर्गत किया जायेगा।
2. भारत सरकार/राज्य सरकारों/सेना के सभी वाहन ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिन्न निगमों के शासकीय वाहनों को ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।
4. शव वाहन, एम्बुलेंस, मालवाहक वाहन, निर्वाचन वाहन, विवाह वाहन तथा शासकीय प्रयोजन में प्रयोग किये जाने वाले अन्य निजी वाहनों को भी ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।
5. बदरीनाथ नगर की स्थानीय टैक्सियों को उनके द्वारा पंचायत कार्यालय से कपाट खुलने के एक माह के भीतर रुपये 500 जमा करने के पश्चात् पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र दिखाने पर ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

शास्ति

नगर पालिका अधिनियिम–1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पंचायत बदरीनाथ एतत् द्वारा निर्देश देती हैं, कि इस उपनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने पर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा न्यूनतम 500 से अधिकतम 5000 रु0 तक जुर्माना किया जा सकेगा।

सुनील पुरोहित,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ।

अनिल कुमार चन्याल,
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत बद्रीनाथ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/240–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।